FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the JHALAWAR-BARAN-25 Parliamentary constituency in RAJASTHAN (State/Union territory).

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Unionterritory) from Baran-Atru (195) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(Name) SHRI PANA CHAND MEGHWAL(Address) CHUNE KE BHATTE KE PAAS, GANESH MOHALLA SALPURA ROAD ATRU, TEHSIL ATRU, DISTRICT BARAN (RAJASTHAN) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: BARAN Date: 11-12-2018

Signature.

Returning Officer

(SANTOSH KUMAR MEENA)
Returning Officer
BARAN-ATRU (AC-195)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) में झालावाड बारां 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा का निर्वाचन बारां—अटरू 195 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य संघ राज्यक्षेत्र) के विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता / करती हूं कि —

श्री पानाचन्द मेघवाल (नाम) चूने के भट्टे के पास, गणेश मोहल्ला सालपुरा रोड अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राजस्थान) द्वारा प्रयोजित इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : बारां

तारीख :11.12.2018

हस्ताक्षर कमार मीणा) रिटर्निग आक्षिस्प्राधकारी विद्यान समा निर्वाचन क्षेत्र बाराँ अटल (195)